बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
आदेश

आ0सं0 415169 / पटना, दिनांक 05/03/2019

श्री लाल बाबू सिंह एवं अन्य 11 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका संख्या 9148/2018 दायर किया गया । इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2018 को आदेश पारित किया गया । पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्न प्रकार है:–

"The learned counsel for the parties are in agreement that the present case is squarely covered by a judgment of this court dated 27.04.2015 passed in C.W.J.C. No. 10653 of 2008 as affirmed by the learned Division Bench in L.P.A. No. 2082 of 2015.

In view of the aforesaid, the present writ petition is disposed of with liberty to the petitioners to submit their detailed and comprehensive claim before the Respondent No. 2 and in case, such claim is made within a period of four weeks from today, the Respondent No. 2 shall consider the claim of the petitioners in light of the aforesaid judgment passed in C.W.J.C. No. 10653 of 2008 and L.P.A. No. 2082 of 2015 and pass a final order within a period of eight weeks thereafter.

The present writ petition is disposed of on the aforesaid terms."

संचिका में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में सभी 12 याचिकाकर्ताओं के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया है, बल्कि श्री विजेन्द्र सिंह, राज्य संयोजक, बिहार राज्य डी0आर0डी0ए0 कर्मचारी संघ, पटना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस रिट याचिका में पारित आदेश सहित अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेशों की प्रति के साथ अभ्यावेदन समर्पित किया गया है । उल्लेखनीय है कि श्री विजेन्द्र सिंह इस रिट याचिका के याचिकाकर्ता नहीं है ।

इस रिट याचिका (सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– 9148/2018) में शामिल सभी 12 याचिकाकर्ताओं के संबंध में संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से सूचनाओं की मांग की गई । जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से प्राप्त सूचना के अनुसार याचिकाकर्ताओं से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है:–

रिट याचिका संख्या /रिट याचिका दायर करने की तिथि	क0 सं0	याचिकाकर्ता का नाम	संबंधित डी0आर0डी0 का नाम	जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जन्म तिथि	जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सेवा निवृति की तिथि	अभ्युक्ति
	1	लाल बाबू सिंह	सारण, छपरा	05.04.1952	30.04.2012	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत ।

9148/2018 30.03.2018	2	महेश प्रसाद	सारण, छपरा	01.06.1965	31.05.2025	याचिका दायर करने की तिथि को सेवा में ।
	3	लखी कुमारी	सारण, छपरा	04.06.1965	30.06.2025	याचिका दायर करने की तिथि को सेवा में ।
	4	मे0 फिरोज	सारण, छपरा	03.05.1964	31.05.2024	याचिका दायर करने की तिथि को सेवा में ।
	5	मे0 जुबैर	सारण, छपरा	12.03.1962	31.03.2022	याचिका दायर करने की तिथि को सेवा में ।
	6	मे0 अजीज आलम	पटना	12.01.1957	31.01.2017	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत ।
	7	नन्द कुमार राम	सासाराम	22.01.1950	31.01.2010	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत ।
	8	ठाकुर प्रसाद	सासाराम	03.12.1952	31.12.2012	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत ।
	9	गुरू प्रसाद सिन्हा	सारण, छपरा	15.05.1961	31.05.2021	याचिका दायर करने की तिथि को सेवा में ।
	10	केदार प्रसाद	भोजपुर (आरा)	02.04.1954	30.04.2014	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत ।
	11	अकबर खान	गया	02.01.1964	31.01.2024	याचिका दायर करने की तिथि को सेवा में ।
	12	शैलेन्द्र प्रसाद	नलंदा		सेवानिवृत	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कम संख्या 1, 6, 7, 8, 10 एवं 12 पर अंकित याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तिथि दिनांक 30.03.2018 को सेवानिवृत थे अर्थात इनके द्वारा सेवानिवृति के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया गया ।

पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यादि याचिकाकर्ता का दावा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 10653/2008 के याचिकाकर्ता श्री अनिरूद्ध झा के समरूप है, तो याचिकाकर्ताओं को भी श्री अनिरूद्ध झा के अनुरूप लाभ दिया जाना है । श्री अनिरूद्ध झा द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 10653/2008 वर्ष 2008 में दायर किया गया था । परन्तु उनकी सेवा निवृति वर्ष 2010 में हुई थी । परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 10653/2008 में दिनांक 27.04.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में रिट याचिका दायर करने की तिथि से श्री झा की सेवा समायोजन हेतु विभागीय संकल्प 391415 दिनांक 28.09.2018 निर्गत किया गया ।

वित्त विभाग द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 16072/2011 एवं एल0पी0एल0 संख्या 1198/2013 में पारित आदेश के आलोक में बोर्ड/निगम/सोसाईटी के कर्मियों के सेवा समायोजन के संबंध में संकल्प संख्या 796 दिनांक 02.02.2018 निर्गत किया गया है । इस संकल्प में स्पष्ट रूप से अंकित है कि आदेश निर्गत की तिथि से बोर्ड/निगम/सोसाईटी के कर्मियों का सरकारी सेवा में समायोजन किया जाएगा ।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 9148/2018 में दिनांक 11.05.2018 को पारित आदेश के आलोक में श्री लाल बाबू सिंह, मो0 अजीज आलम, श्री नन्द कुमार राम, श्री ठाकुर प्रसाद, श्री केदार प्रसाद एवं श्री शैलेन्द्र प्रसाद, जो रिट याचिका दायर करने की तिथि को सेवा निवृत थे, का सरकारी सेवा में समायोजन संबंधी दावा श्री अनिरूद्ध झा के समरूप नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है । अन्य कर्मियों के संबंध में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

सभी संबंधितों को सूचित करें ।

5/3/2019

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 415169 पटना, दिनांक 05/03/2019

ग्रा0वि06अभि0 03–21/2018

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/ उपर वर्णित याचिका से संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मी/विभागीय सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/3/2019

सरकार के सचिव